

## केन्द्रीय मुहर विभाग -2

हमारा संदर्भ: CMD-2/16:2508

30 05 2019

**विषय: IS 2508:2016 (संशोधन संख्या 1 सहित) की अनुपालन तिथि मे 31 अगस्त 2019 तक विस्तार**

1. यह उपरोक्त विषय के संदर्भ मे है।
2. इस विषय मे CMD-2 के परिपत्र CMD-2/16:2508 दिनांक 2 नवंबर 2018 पर भी संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जिसके अनुसार IS 2508:2016 (संशोधन संख्या 1 सहित) की अनुपालन तिथि मे 30 मई 2018 से 30 मई 2019 तक विस्तार किया गया था।
3. इस विषय मे यह सूचित किया जाता है की IS 2508:2016 (संशोधन संख्या 1 सहित) की अनुपालन तिथि का अब सक्षम प्राधिकारी के द्वारा, **30 अगस्त 2019** तक विस्तार किया गया है।
4. सभी शाखा कार्यालयों से निवेदन है की लाइसेंसधारियों व निवेदकों को इस विषय मे अवगत कराया जाए।

(आदित्य दास)  
वैज्ञानिक सी

प्रमुख सी एम डी-2

उपमहानिदेशक (प्रमाणन)

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय/प्रयोगशालाएँ/पीसीडी/एलपिपिडी

प्रतिलिपि:

आई टी एस विभाग – इंटरनेट माध्यम से परिचालन हेतु

**CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2**

Our Ref: CMD-2/16:2508

30 May 2019

**Subject: Extension in date of implementation of IS 2508:2016 (with amendment no. 1) to 31 August 2019**

1. This has reference to the above.
2. Reference is also invited to CMD-2's circular no. CMD-2/16:2508 dated 2 Nov 2018 informing that the last date of implementation of IS 2508:2016 (with amendment no. 1) has been extended from 30 May 2018 to 30 May 2019.
3. In this context, it is informed that the last date of implementation of IS 2508:2016 (with amendment no. 1) has now been further extended by the Competent Authority, up to **31 August 2019**.
4. All BOs are requested to bring the above matter to the attention of licensees and applicants.

**(Aditya Das)**  
**Sc. C**

**HCMD-2**  
**DDG (Cert.)**  
**ROs/BOs/Labs/PCD/LPPD**

Copy to:

**ITSD – with a request for hosting in BIS intranet**